न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S.)
मुकदमा नम्बर – 148/2024
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 07.10.2024
निर्णय दिनांक – 10.03.2024

अनवान

1. श्री नारायण पिता केला जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. श्री देवीलाल पिता केला जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
3. श्री कसना पिता केला जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
4. श्री भगवान पिता केला जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
5. श्री रतन पिता केला जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
6. श्री नाथु पिता जालम जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
7. श्री कालुराम पिता जालम जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भोलीराम पिता लालु जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. श्री मांगीलाल पिता लालु जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
3. श्रीमती सनगारी पत्नि लालु जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
4. श्री नानालाल पिता लालु जी अहिर निवासी पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
5. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
पत्थरगढी एवं मिनार बन्दी करने हेतु

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री श्यामसुन्दर पालीवाल
विपक्षी संख्या 1 से 4 – अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय
विपक्षी संख्या 5 – पेरोकार राज

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी, आधिपत्य एवं उपयोग उपभोग की गाँव पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया में आराजी संख्या 737 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि स्थित है। आराजी 737 पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर प्रार्थीगण ही उक्त आराजी के कब्जे काश्त होकर उपयोग उपभोग में है। आराजी संख्या 737 के सटमा आराजी संख्या 736 स्थित है, जिसके सम्बन्ध में पडौसी सीमा के सम्बन्ध में विवाद करते है, और कहने पर नही मानते है और लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है, इसलिए आराजी संख्या 737 के पश्चिम में तथा आराजी संख्या 736 के पुर्वी भाग के सम्बन्ध में पत्थर गढी कराया जाना एवं मीनार बन्दी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है, ताकि उक्त आराजी के सीमा सम्बन्धी विवाद नहीं हो और भूमियों पडौसियों से किसी प्रकार की टकराव एवं विवाद नहीं हो। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पीपली अहिरान की आराजी की 736 से सटमा आराजी 737 के पश्चिम भाग की पत्थरगढी एवं मिनार बन्दी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 4 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया कि पडौसी खातेदारो को मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचित करा पत्थरगढी किया जाना उचित है। समस्त सहखातेदारो को पक्षकार नही है।

Scanned with ACE Scanner

प्रकरण में आज दिनांक 10.03.2024 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर यह निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम पीपली अहिरान तहसील कुंवारिया में स्थित आराजी संख्या 737 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है एवं उक्त आराजी संख्या 737 के पश्चिम में तथा आराजी संख्या 736 के पुर्वी भाग पर पडौसी खातेदारो से सीमा विवाद के चलते विवाद को खत्म करने हेतु पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक है। विवादग्रस्त भूमि के कुल 17 सहखातेदार है। प्रार्थीगण सभी खातेदारो के हितो की सुरक्षार्थ उक्त भूमि की सीमा जानकारी करा पत्थरगढी मिनार बन्दी कराना चाहता है। अतः पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व ग्राम पीपलीनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2077–2077 की खाता संख्या 215 अनुसार आराजी नंबर 767 रकबा 0.0647 हेक्टेयर किस्म आ.चा. 0.0405, रास्ता 0.0242 में प्रार्थीगण का 11/24 हिस्सा होकर वे उक्त आराजी में सहखातेदार है। विवादग्रस्त भूमि के कुल 17 सहखातेदार दर्ज रिकोर्ड है। सभी खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है। सहखातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराये जाने हेतु सभी सहखातेदारो का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनिम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश्स गुप्ता (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमन्द

उक्त आदेश आज दिनांक 10.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

Scanned with ACE Scanner